

राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को संसाधनों का अंतरण  
(केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल आयों के राज्य के हिस्से को छोड़कर)

(₹ करोड़)

व्यय की मदें	2017-2018 वास्तविक	2018-2019 बजट अनुमान	2018-2019 संशोधित अनुमान	2019-2020 बजट अनुमान
<b>I. अंतरण की कुछ महत्वपूर्ण मदें</b>	<b>37235.69</b>	<b>54482.00</b>	<b>55558.46</b>	<b>54648.93</b>
क एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता	4722.53	10000.00	10000.00	10000.00
ख उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लिए केंद्रीय पूल संसाधन	701.90	692.00	657.40	592.00
ग बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं-अनुदान	2999.60	4500.00	3500.00	4500.00
घ बाह्य सहायता वाली परियोजनाएं-ऋण	17499.95	20000.00	23800.84	19723.28
ङ उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाएं	772.43	524.00	421.72	325.59
च संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत योजनाएं	1509.40	1545.00	1565.00	1993.05
छ मांग के अनुसार विशेष सहायता - राज्यों को अंतरण	6950.50	15000.00	13500.00	15000.00
ज मांग के तहत अनुसूचित जातियों को विशेष केंद्रीय सहायता - सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग	731.38	976.00	876.00	1270.00
झ मांग के तहत जनजाति क्षेत्र को विशेष केंद्रीय सहायता - जनजातीय कार्य मंत्रालय	1348.00	1245.00	1237.50	1245.01
<b>II. वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>92244.47</b>	<b>109373.50</b>	<b>106128.78</b>	<b>131902.22</b>
क स्थानीय निकायों के लिए अनुदान- ग्रामीण निकाय	34448.30	45069.18	42815.18	60687.08
ख स्थानीय शहरी निकायों के लिए अनुदान	12594.37	19870.19	18879.47	26665.29
ग एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	9382.80	9852.13	9852.13	10343.85
घ अवमूल्यन के पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	35819.00	34582.00	34582.00	34206.00
<b>III. राज्यों को अंतरण [(I)+(II) को छोड़कर]</b>	<b>278811.54</b>	<b>310992.91</b>	<b>315132.31</b>	<b>329650.99</b>
क केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	262043.42	277759.85	277413.57	287221.26
ख केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	15963.50	32186.36	36636.96	41291.83
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	788.40	898.04	934.02	1028.94
घ पूंजी अंतरण	16.22	148.66	147.76	108.96
<b>IV. दिल्ली और पुद्दुचेरी को अंतरण</b>	<b>3831.82</b>	<b>6499.95</b>	<b>8310.22</b>	<b>9812.86</b>
क केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	1016.07	1643.24	1336.12	2008.23
ख केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	70.45	86.70	77.20	-52.55
ग व्यय की अन्य श्रेणियों के तहत (राजस्व) <sup>^</sup>	2673.30	4770.01	6767.29	7557.17
घ पूंजी अंतरण	72.00	...	129.61	300.01
<b>कुल जोड़</b>	<b>412123.52</b>	<b>481348.36</b>	<b>485129.77</b>	<b>526015.00</b>

यह विवरण राज्यों को प्रासंगिक प्रमुख शीर्षों और राज्यों को अंतरण के लिए प्रासंगिक राज्य व्यय खंड के अधीन कतिपय कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के तहत किया गया आवंटन दर्शाता है।

<sup>^</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित प्रावधान सहित।